क्रम संख्या–03

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 जनवरी, 2010 ई0

पौष 16, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 11 / XXXVI(3) / 2010 / 16(1) / 2009

देहरादून, 06 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009' पर दिनांक 05 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) अधिनियम, 2009

(अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2010)

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

2—हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2003) में जहाँ—जहाँ शब्द "उत्तरांचल आया है, वहाँ "उत्तराखण्ड" पढ़ा जायेगा।

धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), (ट), (ढ़) तथा (घ) का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), (ट), (ढ़) तथा (घ) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे; अर्थात् :—

"(घ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य राज्य के भीतर शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर—दृष्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियाँ, ई—मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, ई—लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;"

"(ट) 'क्षेत्रीय केन्द्र' का तात्पर्य राज्य के भीतर ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के उद्देश्य से की गयी हो;"

"(ढ़) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य राज्य के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी हो;"

"(घ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) से है जिसकी समस्त गतिविधियाँ उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होंगी और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों एवं दिशा निर्देशों का पालन करेगा;"

धारा 4 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून में स्थित होगा तथा जैसा समय—समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, वह राज्य में अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं जैड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स की स्थापना कर सकेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय स्थापना के तीन वर्ष के अन्दर राज्य के तेरह जिलों में एक—एक अध्ययन केन्द्र स्थापित कर लेगा;"

धारा 4 की उपधारा (4) का निरसन

5—मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 विधायी/38—2010—100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।